न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. अध्यक्ष आदर्श शिक्षा समिति, बरलूट जरिये शंकरलाल प्रजापत निवासी बरलूट तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री परीक्षित खरोर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः–29·1·19

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 02/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 तथा प्रकरण संख्या 01/2016 में नायब तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का बरलूट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर ग्राम बरलूट के खसरा नम्बर 1414/970 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म ओरण की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण दर्शाते हुए विधिक कार्यवाही कराने का निवेदन किया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी। ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु निवेदन ही नहीं किया था। इस कारण नायब तहसीलदार को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार ही नहीं थे। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं किया गया है, मात्र लोकहित में वृक्षारोपण किया है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में शुमार नहीं होता हैं। अपीलाण्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह आशय का अभिकथन भी प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के कथनों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाण्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु वहां से भी अपीलाण्ट की अपील खारिज़ हुई। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बाबत कोई जांच ही नहीं की, कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा प्रमाणित होता है अथवा नहीं ? इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किए है, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील निर्णयों को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बरलूट के खसरा नम्बर 1414/970 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म ओरण की भूमि राजकीय भूमि हैं। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बरलूट के खसरा नम्बर 1414/970 रकबा 1.10 हैक्टेयर किस्म ओरण की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का बरलूट द्वारा नायब तहसीलदार सिरोही के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर नायब तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया तथा जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये। अपीलाण्ट द्वारा यह आधार लिया कि जैर अपील विवादित आराजी पर उनका अतिक्रमण नहीं है, जबकि परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेशों में सारणेश्वर महोदय की खातेदारी भूमि एवं अपीलाण्ट को आवंटित भूमि के मध्य स्थित ओरण की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा सीमेन्ट के पीलर स्थापित कर अतिक्रमण किया जाना साबित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जैर अपील विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किए गए है। अपीलाण्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा राजस्व अपील संख्या 02/2017 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 तथा प्रकरण संख्या 01/2016 में नायब तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 को यथावत रखा जाता हैं। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली